न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/150
दायरा तिथि : 16.08.2023
आदेश तिथि : 10-07-2024
प्रार्थी :–

हिंदुराम पुत्र स्वरूपाराम जाति राईका निवासी करनवा तहसील बाली जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. छतरसिंह पुत्र भीकसिंह
2. दरिया कुंवर पत्नी नाथुसिंह
3. दलपतसिंह पुत्र भीकसिंह
4. पदमसिंह पुत्र नाथुसिंह
5. बालुसिंह पुत्र नाथुसिंह
6. भोपालसिंह पुत्र भीकसिंह
7. मनोहर कंवर पुत्री भीकसिंह
8. राज कंवर पुत्री भीकसिंह
9. रामसिंह पुत्र नाथुसिंह
10. सायर कंवर पुत्री भीकसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण करनवा
11. तुलसाराम पुत्र पूनाजी
12. मोहनीबाई पत्नी पूनाजी जातिगण माली निवासीगण करनवा तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांकः 10-07-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2158 व 2159 रकबा 0.5200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2157 रकबा 0.4100 हैक्टर व खसरा नंबर 4122/2164 रकबा 1.0268 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, सेवाडी ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/1413 दिनांक 07.10.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक सेवाडी की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम सेवाडी तह. बाली के खसरा नंबर 2158 व 2159 रकबा 0.5200 हैक्टर की भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रेकॅार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में आवेदक अपनी खातेदार भूमि में आवागमन हेतू फसल बोने से पुर्व पडौसी खसरों से ही आना–जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही हैं। चूंकि खसरा नंबर 4122/2164 यानि पूर्व में मूल खसरा नंबर 2164 में से खसरा नंबर 2163 के खातेदारों को 251ए के तहत 0.0432 हैक्टर भूमि का नया रास्ता दिया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा पुनः इसी खसरें में से भी रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 2157 व 4122/2164 में से दिये जाने के स्थान पर खसरा नंबर 2157 में से दिया जाना उचित है।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/150

अनवान छिन्दूराम बनाम छतरसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–.

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	2157	0.4100 हैक्टर	बारानी अव्वल	90x04= 360 वर्गमीटर	श्री छतरसिंह, दलपतसिंह पुत्र भीकसिंह वगैरा संयुक्त खातेदारी

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम सेवाडी की डी.एल.सी. दर 2,64,633 रु/– रूपये प्रति हैक्टर है।

5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5,6,7,8,9,10 बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1, 11, 12 की ओर से वकील श्री शिवलाल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रकरण मे प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में वकील प्रार्थी श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा व वकील अप्रार्थीगण को सुनने के पश्चात ज्ञात है कि भू–अभिलेख निरीक्षक सेवाडी व तहसीलदार, बाली द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तावित रास्ता सी से डी बिंदु के बीच की दुरी में 90 मीटर है, बताई है तथा ए से सी की दुरी 116 मीटर बताई है। जबकि वकील अप्रार्थी ने निराधार आपत्ति पेश कर ए से सी बिंदु की दुरी 64 मीटर तथा प्रस्तावित रास्ता सी से डी बिंदु की दुरी 88 मीटर बताई है। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा भी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते को तथा आपत्ति में उल्लेखित ए से सी दुरी की नपाई कर तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेखित बिन्दु सी से डी की दुरी 90 मीटर तथा बिन्दु ए से सी की दुरी 116 मीटर होना बताया। जिससे तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता बिन्दु सी से डी का न्यूनतम दुरी का होने से आपत्तियां खारिज की जाती हैं। तथा आवेदक को तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुरूप रास्ता नियमों के तहत नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2158 व 2159 रकबा 0.5200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1413 दिनांक 07.10.2023 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2158 व 2159 रकबा 0.5200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2157 रकबा 0.4100 हैक्टर में से **360 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 2,64,633 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2157	0.4100 हैक्टर	90x04= 360 वर्गमीटर	27	9720X2=19440	वर्तमान जमाबंदी अनुसार

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.........03

Scanned with CamScanner

//03//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2023/150

अनवान हिन्दूराम बनाम छतरसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 19440/– (अक्षरे उन्नीस हजार चार सौ चालिस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. सेवाडी द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2024/774-778
दिनांक : 10-07-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी
3. पटवारी हल्का, सेवाडी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री हिंदुराम पुत्र स्वरूपाराम जाति राईका निवासी करनवा तहसील बाली जिला पाली(राज.) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला पाली (राज.)

Scanned with CamScanner